उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1999)

THE UTTAR PRADESH GO-SEVA AYOG ADHINIYAM, 1999

(U.P. Act No. 15 of 1999)

उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1999[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 2013

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2024

द्वारा संशोधित

[जैसा की उत्तर प्रदेश विधान मडल द्वारा पारित हुआ, "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 24 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की एवं उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में 24 मार्च, 1999 को प्रकाशित हुआ।]

गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए गो–सेवा आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : ––

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में,–

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग से है ;

(ख) "गाय" का तात्पर्य गाय और गाय के वंश से है ;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ।

(घ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोगके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है ;

(ङ) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनमें उनके लिए समनुदेशित हैं ।

आयोग की स्थापना

3–(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा, लखनऊ में एक निकाय की स्थापना कर सकेगी जिसे उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग के रूप में जाना जायेगा ।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा ।

आयोग का गठन

4–(1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :––

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

1[(क) सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, पशुपालन विभाग	पदेन सदस्य]
2[(ख) सरकार का सचिव वित्त विभाग]	पदेन सदस्य
(ग) सरकार का सचिव, कृषि विभाग	तदैव
(घ) सरकार का सचिव, वन विभाग	तदैव
(ङ) सरकार का सचिव, दुग्ध विकास विभाग	तदैव
(च) सरकार का सचिव, राजस्व विभाग	तदैव
(छ) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	तदैव
(ज) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश	तदैव

3[(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट छः गैर सरकारी सदस्य अर्थात्:–

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि;

(दो) पांच व्यक्ति, जिनमें से दो कृषक होंगे और तीन राज्य में गायों के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े होंगे।]

(ञ) आयोग, ऐसे व्यक्तियों में से जिन्होंने गाय के कल्याण के लिए विशिष्ट सेवा की हो, पांच सदस्य सहयोजित कर सकेगा, जिन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

(2) आयोग के 4[अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष] सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम–निर्दिष्ट किए जायेंगे ।

(3) किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु होने, त्याग–पत्र देने या अनर्ह हो जाने या पदावधि की समाप्ति के पहले कार्य करने के आयोग्य हो जाने की दशा में, ऐसे पद की रिक्ति हुई समझी जायगी और ऐसी रिक्ति को सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम–निर्देशन द्वारा भरा जायेगा जो अपने पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2024 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2024 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

सदस्यों को पदावधि और उनके भत्ते

5–[1][(1) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा,

परन्तु यह कि कोई गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।]

(2) गैर सरकारी सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जैसे विहित किये जाये ।

(3) कोई गैर से सरकारी सदस्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और ऐसे त्याग–पत्र की स्वीकृति पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(4) [2][X X X X]

गैर सरकारी सदस्य होने के लिए अनर्हतायें

6–कोई व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किए जाने और गैर सरकारी सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह ––

(क) आयोग के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो ।

(ख) विकृतचित हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाय ; या

(घ) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा या किसी भागीदार सेवा योजक या कर्मचारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई हित रखता हो, चाहे वह धन संबंधीन हो या किसी अन्य प्रकृति का हो ; या

(ङ) किसी ऐसे निगमित निकाय या किसी सरकारी समिति का, जिसका आयोग के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित हो, निदेशक या सचिव या सदस्य या अन्य वेतन भोगी अधिकारी हो; या

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्ध दोष किया जाय ;

परन्तु कोई व्यक्ति मात्र सदस्य होने के कारण और धारा–5 की उपधारा (2) के अधीन भत्ता प्राप्त करने के कारण खण्ड (क) के अधीन अनर्ह नही होगा।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

7–(1) सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय ।

वेतन और भत्ते का भुगतान आयोग की निधि से किया जाना

8–गैर सरकारी सदस्यों को देय भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिसमें धारा–7 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी सम्मिलित होंगे, का भुगतान धारा–12 में निर्दिष्ट निधि से किया जायगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 2007 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 2007 की धारा 3(ख) द्वारा निकाला गया ।

9–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी। **रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्यवाही अविधि–मान्य नहीं होंगी**

10–(1) आयोग जब आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे। **आयोग की प्रक्रिया**

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

11–(1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्:–– **आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियां**

(एक) उत्तर प्रदेश गोवध–निवारण अधिनियम, 1955 और गोशालाओं, काजी हाऊसों, पशुमेंलों और पशु बाजारों, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को शासित करने वाली विधियों के किसी उपबन्ध के अभिकथित अतिक्रमण की, स्वप्रेरणा से या शिकायत पर, जांच करना और उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना ;

(दो) राज्य में गाय के कल्याण के लिए कार्य करना ।

(तीन) गाय के गोबर और मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस प्रकार कार्य करना जिससे मृदा उर्वरकता सहित कृषि और घरेलू उपयोग मे उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके ;

(चार) गोशालाओं की प्रोन्नति और सहायता के लिए कार्य करना ;

(पांच) निष्क्रिय गोशालाओं को सक्रिय बनाना ;

(छः) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण में, वित्तीय सहायता प्रदान करने, गाय की विभिन्न नस्लों के वैज्ञानिक प्रजन्न के क्षेत्र में तथा गाय के गोबर और मूत्र का कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग के क्षेत्र में समुचित उपयोग, जिसमें गाय के गोबर पर आधारित बायों–गैस संयंत्रों का बढ़ाया जाना और उपयोग भी सम्मिलित है, के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयोजनों के लिए, गाय के स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित और चलाई जा रही गोशालाओं के कामकाज तथा कार्य में सहायता करना।

(सात) आयोग या सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों और गोशालाओं और अन्य स्वैच्छिक सगठनों की संपत्तियो के असद्भावपूर्ण अपयोजन को रोकने के लिए गोशालाओं पर पर्यवेक्षण करना और समुचित कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट उदाहरण को सरकार की नोटिस में लाना ;

(आठ) चरागाहो का विकास करना और उक्त प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओ और निकायों से, चाहे निजी हो या सार्वजनिक, सहयुक्त होना ।

(नौ) सरकार या अन्य व्यक्तियों से चरागाह विकसित करने या चारा उगाने या चारा बैंकों, गोशालाओं और ऐसे अन्य निर्माणों, जैसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, की स्थापना करने के प्रयोजन के लिये आवंटन, उपहार, पट्टा या क्रय के द्वारा भू–भाग के लिये आवेदन करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(दस) गाय से प्राप्त किये जा सकने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, अभियान चलाना और उन्हें जागरूक करना ;

(ग्यारह) दुर्भिक्ष, सूखा और अन्य प्रकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में गाय के लिये चारा उपाप्त कर उपलब्ध कराना और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में उपर्युक्त प्रयोजन के लिये शिविर लगाना ;

(बारह) कृषि विश्वविद्यालयों या गाय के प्रजनन और पालन–पोषण और जैव खाद या बायो–गैस के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में लगे सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्य करना और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये गाय के जैविक उत्पादन पर अनुसन्धान करने के लिये विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा संचालित भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनुसन्धान परियोजनाओं में सहयोग करना ;

(तेरह) गाय की सवदेशी प्रजाति की अच्छी नस्लों के साड़ों को उत्पन्न करने और धारा उपाप्त करने के प्रयासो मे गोशालाओं की सहायता करना और वर्तमान गोशालाओं को ऐसे स्थान पर अवस्थित करने में सहायता करना जहां प्रचुर मात्रा में सुगमता पूर्वक चारा और पानी उपलब्ध हों ;

(चौदह) जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देना और सरकार से उचित उपायों की सिफारिश करना, जिनमें रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं को कम करने के लिए किसानों द्वारा जैविक खाद और कीटनाशक पदार्थो के रूप में गाय के गोबर और मूत्र के प्रयोग से सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना सम्मिलित है और हाल में विकसति किए गए बैल द्वारा खींचे जाने वाले कृषि उपकरणों और बैल गाड़ियों के निर्माण और प्रयोग को प्रोत्साहित करना ;

(पन्द्रह) चारा विकास योजनाओं का जिम्मा लेना ;

(सोलह) तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्यक् प्राधिकार के पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय निकायों, अन्य सक्षम प्राधिकारियों या न्यायालयों से परित्यक्त लावारिस छोड़ी गई अधिह्वत या अभिगृहीत गायों को अभिरक्षा में लेना और उचित रूप से उनका अनुरक्षण करना या समुचित रूप से उनका अनुरक्षण कराना ;

(सत्रह) ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गो–मूत्र, बैलो की भार–वाहक शक्ति और गाय के बायो–गैस उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर आधारित, इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों के निमार्ण के प्रयोजनों के लिए स्वाभाविक रूप से मृत गायों के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगो की स्थापना के लिए सरकार के विचारार्थ योजना बनाना और प्रस्तुत करना ;

(अट्ठारह) गाय की स्वदेशी प्रजातियों, कार्बनिक खेती, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले विकसित कृषि उपकरणों और गाड़ियों के विकास से सम्बन्धित निदर्शनों, सभाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना और दूरदर्शन, रेडियों संगोष्ठियों, सभाओं ओर निदर्शनों के माध्यम से गाय से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में प्रचार और प्रसार कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना और उनसे सम्बन्धित वीडियों, आडियों कैसिट और साहित्य प्रकाशित और वितरित करना ;

(उन्नीस) गोशालाओं या अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रबन्धको और कर्मचारी वृन्द को पशुपालन और उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराना ;

(बीस) सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट अन्य किसी विषय का परीक्षण करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देना ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन हेतु आयोग को समर्थ बनाने के लिए, आयोगः–

(क) को वही शक्ति प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को उपस्थित होने और शपथपूर्वक बयान देने के लिए बाध्य करने, किसी व्यक्ति को अभिलेखों और लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने और किसी व्यक्ति के बयान को अभिलिखित करने और किन्ही अभिलेखो या लेखा बहियों का निरीक्षण करने हेतु आयोग जारी करने के लिए किसी न्यायालय को प्राप्त है।

(ख) भिन्न–भिन्न स्तरों पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए समितियां गठित कर सकता है और उन्हें समय–समय पर निर्देश जारी कर सकता है और उनके कार्यो का पर्यवेक्षण कर सकता है ;

(ग) सरकार के पूर्वानूमोदन से किसी व्यक्ति को अवैतनिक गोरक्षक के रूप में पदाभिहित करते हुए उसे पहचान पत्र जारी कर सकता है जो ऐसे प्रपत्र में और ऐसी अवधि के लिए और गाय से संबंधित ऐसे अंशकालिक क्रिया कलापों के अनुसरण के प्रयोजनों के लिए होगा जैसा विहित किया जाय ;

(घ) राज्य में गाय से सम्बन्धित प्रवृत्त विभिन्न अधिनियमों और तद्धीन बनाये गये नियमों का पुनर्विलोकन करेगा और उनमें संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता पूर्वक सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर सरकार उसे समुचित बल उपलब्ध करा सकेगी ।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

12–(1) सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी;

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान के देय व्यय के रूप में समझा जायेगा ;

लेखा और लेखा परीक्षा

13–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परिक्षक द्वारा की जायेगी और ऐसे अन्तराल पर जैसा विहित किया जाय, की जायगी।

(3) लेखा परीक्षक को बहियों, लेखों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्ति होगी जैसी विहित की जाय।

वार्षिक रिपोर्ट

14–आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए, तैयार करेगा और उनकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना

15–सरकार धारा 11 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी कार्यवाही और किसी ऐसी सलाह को अस्वीकार करना यदि कोई हो, के कारण के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उनको प्राप्त होते के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों के समक्ष रखवायेगी।

16–भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगें । **आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे**

17–(1) आयोग की स्वयं की अपनी निधि होगी और आयोग की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेंगी और आयोग द्वारा समस्त भुगतान उसमें से किये जायेंगे। **आयोग की निधि**

(2) आयोग,–

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी और निजी या लोक न्यासों और व्यक्तियों से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार स्वीकार कर सकता है, और

(ख) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंकों या किन्ही अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकता है।

(3) आयोग की निधि से सम्बन्धित समस्त धन, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, जमा किया जायगा।

(4) बैंकों में आयोग के लेखे, आयोग के ऐसे अधिकारियों या कृत्याकारियों द्वारा जैसा आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाय संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से संचालित किये जायेंगे ।

18–(1) आयोग की समस्त सम्पत्तियाँ, निधियों और अन्य आस्तियाँ, उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारित और उपयोजित को जायेंगी । **आयोग की निधि और सम्पत्ति का उपयोजन**

(2) आयोग द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव जिसमें वित्तीय अलिप्तता अर्न्तग्रस्त हो, तब तक अनुमोदित, स्वीकृत या कार्यान्वित नही किया जायगा जब तक कि ऐसे प्रस्ताव का विहित रीति से सम्यक् रूप से गठित वित्त समिति द्वारा पहले परीक्षण न कर दिया जाय ।

19–(1) आयोग अपने कृत्य के निर्वहन में नीतिगत किसी प्रश्न पर ऐसे निदेशों द्वारा जैसे सरकार द्वारा उसे दिये जाय, मार्ग–दर्शित होगा। **सरकार द्वारा निदेश**

(2) यदि सरकार और आयोग के बीच कोई ऐसा विवाद कि कोई प्रश्न जो नीतिगत प्रश्न है, या नही तो उस पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

20–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी । **सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण**

21–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धो से असंगत न हो, और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो । **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नही दिया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,

1964 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है ।

विनियमन बनाने की शक्ति

22–आयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के संगत विनियमन बना सकता है ।

नियम बनाने की शक्ति

23–सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद

24–(1) उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अध्यादेश, 1998 एवं उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 20, 1998 एवं अध्यादेश संख्या 3, 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध संभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 48 में यह व्यवस्था है कि राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये कदम उठायेगा। उक्त व्यवस्था के अनुसरण में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 तथा उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 अधिनियमित कियेगये किन्तु उक्त अधिनियमों के उपबन्ध प्रभावी ढंग से लागू न किये जा सकने के कारण गाय और गोवंशी पशुओं का वध एवं प्रदेश से बाहर अन्य स्थानों पर अवैध रूप से उनका परिवहन किया जाता रहा और वृद्ध एवं अनुपयोगी पशु छुट्टा बनकर विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न करते रहे। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि मुख्यतः गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण, गाय के गोबर और मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिये इस प्रकार कार्य करने जिससे मृदा उर्वरकता सहित कृषि और घरेलू उपयोग में उसको उपयोगिता बढ़ाई जा सके, जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देने, चारागाह विकसित करने या चारा उगाने या चारा बैंकों, गोशालाओं और अन्य निर्माणों की स्थापना करने के लिये भू–भाग प्राप्त करने, गाय से प्राप्त किये जा सकतने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने, अभियान चलाने ओर उन्हें जागरूक करने, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गो–मूत्र, बैलों को भार–भाहक शक्ति और गाय के बॉयों गैस उत्पाद द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर आधारित और स्वाभाविक रूप से मृत गाय के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये योजना बनाने, जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को बढ़ावा देने, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और उत्तर प्रदेश गो–शाला अधिनियम, 1964 के उपबन्धों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्य में गो–सेवा आयोग की स्थापना की जाय।

2–चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 को उत्तर प्रदेश गो–सेवा अध्यादेश, 1998 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1998) प्रख्यापित किया गया।

3–उपर्युक्त आयोग के गठन के सम्बन्ध में उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) के उप–खण्ड (चार) में यह व्यवस्था थी कि बारह व्यक्ति, राज्य के प्रत्येक राजस्व मण्डल से एक व्यक्ति जो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से सम्बन्धत हो, उपर्युक्त आयोग के गैर सरकारी सदस्य के रूप में राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे। चूंकि राज्य में 19 राजस्व मण्डल हैं और प्रत्येक राजस्व मण्डल से एक व्यक्ति को आयोग के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जाना सम्भव नहीं है, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) को संशोधित कर यह व्यवस्था कर दी जाय कि ऐसे बारह व्यक्ति, जो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से सम्बन्धित हों, उपर्युक्त आयोग के गैर सरकारी सदस्य के रूप में राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और प्रस्तर–3 में निर्दिष्ट विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करपी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1999 को उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1999) प्रख्यापित किया गया।

तद्नुसार यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।